समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या–11 (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के अर्न्तगत उत्तराखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आयोजित) **स्थान–जिला न्यायालय, देहरादून।**	
दिनांक	**14.12.2024**
पीठ संख्या	**11**
परिवाद संख्या (वाद पत्र के अनुसार)	**4153/2022**
परिवादी/शिकायतकर्ता	**योगराज**
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता	**श्रीमती शशि वर्मा**
अभियुक्त	**नरेन्द्र कुमार**
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	**श्री के0 के0 शर्मा**
वाद की प्रकृति	**धारा 138 एन0 आई0 एक्ट**

<u>पंचाट</u>

पत्रावली आज दिनांक 14.12.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में पीठ संख्या 11 के समक्ष प्रस्तुत की गयी। परिवादी पक्ष स्वयं एवं अभियुक्त मय विद्वान **अधिवक्ता श्री के0 के0 शर्मा** व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत में पीठ संख्या 11 के समक्ष उपस्थित है। परिवादी की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी।

2. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी एवं अभियुक्त द्वारा संयुक्त प्रार्थना पत्र इस अभिवाक के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य समझौता हो गया है तथा परिवादी को समझौते के अनुसार तय राशि प्राप्त हो गयी है, शेष कोई बकाया नहीं हैं। परिवादी उपरोक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः उपरोक्त वाद समझौते के आधार पर निस्तारित करने की प्रार्थना की गयी।

3. सुना। चूंकि मामले में परिवादी व अभियुक्त के मध्य आपसी समझौता हो चुका है। ऐसे में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मामले का शमन किया जाता है। तदनुसार अभियुक्त **नरेन्द्र कुमार** को अभियोग अन्तर्गत धारा 138 एन0 आई0 एक्ट में दोषमुक्त किया जाता है।

4. चूंकि पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। ऐसे में पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को मय पंचाट सहित वापस प्रेषित की जाये।

(जसवंत संधु)
अधिवक्ता/सदस्य,
राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या–11

(साहिस्ता बानों)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देहरादून।
अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या–11